

नव भारत



▶ एक नजर में ◀



पीडब्ल्यूडी का बाबू चलवा रहा था सेक्स रैकेट

जबलपुर. अधारताल थाना अंतर्गत सुहागी सरस्वती कॉलोनी पन्नी मोहल्ला में चल रहे सेक्स रैकेट के मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो नए खुलासे हुए . आरोपी मकान मालिक पीडब्ल्यूडी सीनियर इंजीनियर ऑफिस में बाबू के पद पर पदस्थ था जिसके संरक्षण में देह व्यापार संचालित हो रहा था . जिसमें उसकी हिस्सेदारी भी थी . रविवार को पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

4.20 लाख की ड्रस के साथ तीसरा गिरफ्तार

इंदौर. कनाड़िया पुलिस ने एमडी ड्रस तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सल्लाईचेन से जुड़े तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है . पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस आगर मालवा तक पहुंची और वहां से ड्रस सलायार को दबोच लिया . आरोपी के कब्जे से 42.18 ग्राम एमडी ड्रस बरामद की गई . इस कार्रवाई के बाद मामले में बरामद एमडी ड्रस की कुल मात्रा 47.78 ग्राम हो गई है . पुलिस ने ड्रस के साथ एक किया सेल्टोस कार भी जब्त की है . बरामद सामग्री की कीमत करीब 15.70 लाख रुपए बताई गई है.

हथियारों के प्रदर्शन में सात लाइसेंस निलंबित

शिवपुरी. तेंदुआ थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़ाजगीर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन आखिरकार महंगा पड़ गया . लंबे समय से सोशल मीडिया पर शस्त्रों के साथ फोटो और वीडियो चर्चा का विषय बने हुए थे . अब जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सात शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं . इसके साथ ही आदिवासियों की भूमि पर कब्जे का मामला भी आज सामने आया है . माना जा रहा है आदिवासियों की सैकड़ों . बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा रखी है .

उर्मिला हत्याकांड पर थाने का घेराव

- ▶ हत्यारे पति अखिलेश की गिरफ्तारी और फांसी की मांग
- ▶ पुलिस की टीमें भोपाल-सागर हुई रवाना

नव भारत न्यूज
इंदौर. पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को शहर में आक्रोश फूट पड़ा.

डॉक विभाग के कर्मचारियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर संयोगितागंज थाने का घेराव किया और आरोपी पति

अखिलेश सैनी की तत्काल गिरफ्तारी के साथ फांसी की सजा की मांग को लेकर जापन सौंपा. इधर, आरोपी अब भी फरार हैं. उसकी तलाश में पुलिस ने इंदौर के बाहर भोपाल और सागर में विशेष टीमें रवाना कर दी हैं, जबकि साइबर सेल तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. रैली निकालते हुए संयोगितागंज थाने पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जन्य हत्याकांड के आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाई जाए.

हाईकोर्ट फैसला ▶ विशेष बेंच करेगी अंतिम सुनवाई,एसीजे ने खुद को सुनवाई से किया अलग

प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं

जबलपुर, 13 जुलाई. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही बहुचर्चित कानूनी लड़ाई सोमवार को नए मोड़ पर पहुंच गई. हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने अथवा कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया.



साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम सुनवाई अब विशेष युगलपीठ करेगी, जिसका गठन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा. संभावना है कि इसी सप्ताह मामले पर अंतिम सुनवाई होगी. एक्टिंग चीफ जस्टिस

अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं. न्यायिक निष्पक्षता की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया. युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न तो प्रमोशन पर रोक लगेगी और न ही किसी पक्ष को अंतरिम राहत दी जाएगी. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस प्रकरण की सुनवाई के लिए विशेष युगलपीठ का गठन करेंगे. सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन उपस्थित रहे.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमन नारायण ने पक्ष रखा. अर्जाक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे. दरअसल, राज्य के हजारों शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब सभी की निगाहें विशेष युगलपीठ की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णायक बहस होगी.

सदन में सीधे विधेयक पेश नहीं

कन्हैया लोधी
भोपाल, 13 जुलाई. विधानसभा की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित विधानसभा अध्यक्षों की समिति ने जो प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया है, यदि उस पर अमल हुआ तो प्रदेश के साथ ही देश के बाकी राज्यों की विधानसभा की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आ सकता है.



सरकार सीधे सदन में चर्चा के लिए पेश नहीं कर सकेगी, बल्कि ऐसे विधेयकों को पहले सदन की समिति या प्रवर समिति के सामने पेश करना होगा. समिति विधेयकों का गुण-दोष तय करेगी और जरूरत पड़ने पर विधेयकों के प्रावधानों में बदलाव के लिए सिफारिश भी कर सकेगी. यहां बता दें कि विधानसभा की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है, उस समिति के सभापति मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह

विधानसभा अध्यक्षों की समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विधानसभा की समिति गठित होने के बाद समिति तय निर्धारित अवधि जो कि 15 दिन होगी, तक की अवधि में सार्वजनिक कार्यक्षेत्र के हितधारकों, नागरिकों और विशेषज्ञ आदि की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने उनसे सुझाव मांग सकेगी. वहीं सदस्यों को विधेयक की जानकारी देने के लिए विधानसभा में विधेयक संबंधी विशेषज्ञों द्वारा विधेयक पर चर्चा होगी.

को बनाया गया था. इस समिति में मप्र के अलावा पांच राज्य उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष भी सदस्य के तौर पर शामिल थे.

इस समिति ने बीते दिनों कोलकाता में अपनी सिफारिशें

विधेयक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस होता है . यहां तक कि बजट भी विधेयक के रूप में ही पारित होता है . बजट के अलावा सरकार के दूसरे नीतिगत विधेयकों पर सामान्य तौर पर सदन में चर्चा को लेकर उदासीन माहौल होता है और ये चर्चा केवल रस्मी बनकर रह जाती है . चर्चा में सीमित संख्या में ही सदस्य हिस्सा लेते हैं .

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी है, जिसमें ये सिफारिशें की गई हैं. इन सिफारिशों को परीक्षण के बाद लागू करने के लिए देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा. ये मप्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ज्यादातर सिफारिशों में मप्र की बड़ी भूमिका रही है.

पुरस्कारों के लिए कम आवेदन मिले

- ▶ अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
- ▶ राज्य और जिला स्तरीय सम्मान की घोषणा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 13 जुलाई. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है. विभाग को पूर्व में तय समय-सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके चलते

जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गयी है. कुल छह अलग-अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है. इसमें विजेताओं को एक लाख रुपये तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है. इसके तहत बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने तथा पीड़ितों के पुनर्वास में योगदान देने वाली बालिकाओं और महिलाओं को रानी अवंती बाई रायल स्तरीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

केन्द्रीय मंत्रियों के नाम पर 40 लाख की ठगी

पति के मौत के बाद पीड़िता रीवा एसपी कार्यालय पहुंची शिकायत करने

नवभारत न्यूज
रीवा, 13 जुलाई, उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद की महिला ने रीवा के एक युवक पर केन्द्रीय मंत्रियों के नाम पर लगभग 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि रीवा के रहने वाले अभयराम सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को केन्द्रीय मंत्री का साला बताया और केन्द्र की योजनाओं में पार्टनरशिप में काम करने का झांसा देकर पैसे ठग लिये. महिला के मुताबिक उसके पति ने प्लांट गिरवी रखकर पैसे दिए थे, लेकिन काम नहीं होने पर



डिप्रेशन में आकर उसके पति की भी मौत हो गई. इधर पैसा लेने वाले ने महिला के पति की मौत के बाद महिला से भी संपर्क तोड़ दिया. फिलहाल पीड़ित माया त्यागी पति स्व. अच्छत त्यागी निवासी गाजियाबाद ने रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर

कार्यवाही की मांग की है. दरअसल रीवा पहुंची गाजियाबाद निवासी महिला ने रीवा निवासी अभयराज सिंह पर 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक अभयराज से उनकी मुलाकात कालोनी में ही रहने वाले लोगों के जरिए हुई थी. महिला ने बताया कि रीवा के रहने वाले अभयराज ने केन्द्रीय मंत्री एवं अन्य राजनेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर पहले तो उसने बातों से उसके पति का दिल जीता फिर मंत्रियों की मदद से केन्द्र की योजनाओं का काम दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिये.

33 पेट्रोल पंपों पर जनसुरक्षा को लेकर वैध लाइसेंस नहीं

- ▶ प्रशासन ने जारी किया नोटिस, कार्रवाई
- ▶ बिना विस्फोटक लाइसेंस पेट्रोल-डीजल बेच रहे थे

नवभारत न्यूज
दमोह। जिले में पेट्रोल पंपों पर लगातार किए जा रहे आसक्तिम निरीक्षण में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और विक्रय करने



वाले चार पेट्रोल पंपों को सील कर दिया है।

वहीं 33 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इंडियन ऑयल कंपनी के जबलपुर स्थित रीजनल अधिकारी से भी जवाब-

तलब किया गया है। चारों एसडीएम जिसमें दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा व हटा के साथ तहसीलदारों ने भी खाद्य आपूर्ति विभाग आदित्य दाहिया के साथ निरीक्षण किया। कमी मिलने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय-कलेक्टर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि निरीक्षण में पाया गया कि कई पेट्रोल पंप बिना

विस्फोटक लाइसेंस अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण के ही पेट्रोल और डीजल का भंडारण व विक्रय कर रहे थे। यह न केवल विस्फोटक अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय भी है। इसी के मद्देनजर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा इंडियन ऑयल कंपनी के रीजनल अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है,

हाईकोर्ट ने जारी किए न्यायिक अधिकारियों के तबादले

- ▶ इंदौर को मिले नए प्रशासनिक अधिकारी

नव भारत न्यूज
इंदौर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायिक संस्थाओं में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों, उप प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ निजी सहायकों के तबादला आदेश जारी कर दिए. जारी सूची के अनुसार नर्मदापुरम में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी अजीत कुमार गोयल का तबादला इंदौर किया है. वहीं सागर, विदिशा, शहडोल,

भिंड सहित अन्य जिलों के अधिकारियों के भी तबादले किए हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उप प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ निजी सहायकों के भी स्थानांतरण किए हैं. इसके अलावा कुछ अधिकारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन स्वीकार किए, जबकि कुछ आवेदन निरस्त कर दिए हैं. सभी अधिकारियों को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सहकारिता घोटाले में प्रशासन का चाबुक

पाई-पाई वसूलने की तैयारी, जिले में खोफ
62.78 करोड़ रुपये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है. प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और शासन की पाई-पाई वसूली जाएगी. सहकारिता विभाग की इस ऐतिहासिक और कड़क कार्रवाई से जिले भर की अन्य सहकारी समितियों और वहां बैठे मठाधीशों की नींद उड़ गई है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम फैसले के बाद इन अफसरों पर और क्या कानूनी गाज गिरती है.

विशाल राशि की रिकवरी के लिए उप पंजीयक (सहकारी संस्थाएं) न्यायालय ने पांच तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क (अटैच) कर दिया है.

इन 'धनकुबेरों' पर गिरी गाज: सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाने वाले जिन लोगों के गिरेबान तक कानून के हाथ

पहुंचे हैं, उनमें पिपलानी समिति के तत्कालीन समिति प्रबंधक श्रीराम राजपूत व महेन्द्र सिंह ठाकुर, तत्कालीन लिपिक उमाशंकर सोलंकी, सहायक प्रबंधक कृपाल सिंह धुर्वे और हरीश चौरसिया शामिल हैं. आदेश स्पष्ट है- जब तक इस महाघोटाले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इनकी तमाम अचल संपत्तियां अटैच रहेंगी.

कांग्रेस की युवा स्वाभिमान यात्रा आज यूनिवर्सिटी से होगी शुरु

नव भारत न्यूज
इंदौर, 13 जुलाई । नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों को लेकर कांग्रेस की युवा ब्रिगेड 'छत्रों की गूंज' के साथ युवा स्वाभिमान यात्रा निकलेगी। युवा स्वाभिमान यात्रा आज सुबह आरएनटी मार्ग यूनिवर्सिटी इंदौर से शुरू होकर कल भोपाल पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष,युवक कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साइकिल से

भोपाल तक यात्रा करेंगे। कांग्रेस के अनुसार नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों में डेढ़ के करीब 5 करोड़ युवाओं के भविष्य से साथ खिलवाव हो गया। नीट पेपर लीक होने से 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार और युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर छात्र हित , युवाओं में बढ़ती नशे की लत और युवाओं की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस आज से साइकिल यात्रा निकाल रही है।



अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान

संबंधित कॉलोनाइजर को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वैधानिक

कलेक्ट्रेट, नगर तहसील कार्यालय को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट

नवभारत न्यूज
गुना। प्रशासनिक व्यवस्थाओं, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में गुना जिले के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। गुना कलेक्टर कश्चोर कुमार कन्याल ने बताया कि इस आईएसओ सर्टिफिकेशन का सोधा फायदा जिले की आम जनता को मिलेगा। कार्यालयों में अब दस्तावेजों का रख-रखाव पहले से कहीं अधिक बेहतर और आधुनिक हो गया है। इसके साथ ही स्वच्छता के स्तर में भी बड़ा सुधार आया है।

जिसके बाद सभी कड़े नियमों और प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करते हुए यह गौरव हासिल किया गया है। इस बड़ी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर कश्चोर कुमार कन्याल ने बताया कि इस आईएसओ सर्टिफिकेशन का सोधा फायदा जिले की आम जनता को मिलेगा। कार्यालयों में अब दस्तावेजों का रख-रखाव पहले से कहीं अधिक बेहतर और आधुनिक हो गया है। इसके साथ ही स्वच्छता के स्तर में भी बड़ा सुधार आया है।

पूर्व विधायक डॉ सुनीलम को हाईकोर्ट से झटका

बीजा की अनुमति के लिए दायर आवेदन खारिज

जबलपुर। पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता डॉ सुनीलम को हाईकोर्ट हाईकोर्ट से झटका लगा है। अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस के लिए तैयार नहीं होने के कारण हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने उनकी तरफ से बीजा जारी किये जाने की अनुमति के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान पाया कि आपराधिक अपील 14 साल से

लंबित है और उनके अधिवक्ता अंतिम बहस के लिए तैयार नहीं है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदन को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अपील 14 साल से लंबित है। अपील करने वाले वकील खुद ही मुकदमे में अंतिम सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अधिवक्ता खुद अपील को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार हैं। आम तौर पर जनता में यह धारणा बनती है कि सुनवाई के दौरान पाया कि